मेरी सरकार

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (1/10)

* कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी
- केवल लक्षणविहीन कर्मचारियों/आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी
- सभी कर्मचारियों और मेहमानों द्वारा फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाएगा और होटल के अंदर उन्हें हर समय मास्क पहने रहना चाहिए
- सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लोगों को तैनात किया जाएगा
- कर्मचारियों द्वारा दस्ताने पहनने के साथ-साथ अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय किए जाएंगें

my GOV
मेरी सरकार

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (2/10)

* कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- ज्यादा रिस्क वाले सभी कर्मचारियों यानी रोगग्रस्त, गर्भवती महिलाएं या अधिक उम्र के लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी
- जनता के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले फ्रंट-लाइन काम से बचना होगा
- होटल में भीड़ का उचित प्रबंधन और और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाएगा
- संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के एसओपी के अनुसार सभा / कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (3/10)

*कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- वैलेट पार्किंग का संचालन करने वाले कर्मचारियों को अपना फेस कवर/मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी है
- आगंतुकों, कामगारों और माल/आपूर्ति के लिए अलग से प्रवेश और निकास सुनिश्चित किया जाएगा
- प्रवेश के वक्त कतार में और होटल के अंदर यथा संभव न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखा जाएगा
- परिसर में कतार के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट चिह्न बनाए जा सकते हैं

myGOV मेरी सरकार

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (4/10)

*कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन किया जाएगा
- एस्केलेटर की एक सीढ़ी छोड़ कर दूसरी सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाएगा और एक सीढ़ी पर एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति
- एसी/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए-सभी एसी उपकरणों को 24-30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में चलाय़ा जाना चाहिए। जितना संभव हो सके, ताजी हवा के साथ पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए
- रिसेप्शन पर आगंतुकों को अपनी आईडी के साथ अपना विवरण (यात्रा इतिहास, चिकित्सा हालत आदि) प्रदान करना होगा और निर्धारित फॉर्मेट में अंडरटेकिंग देनी होगी

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (5/10)

* कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों पर पोस्टर/स्टैंडीज/एवी मीडिया को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए
- रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर जरूर रखे जाएं। प्रासंगिक फॉर्म भरने से पहले और बाद में आगंतुकों को अपने हाथ सैनिटाइज कर लेना चाहिए
- होटल को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, चेक-इन और चेक-आउट के लिए डिजिटल भुगतान जैसी संपर्क रहित प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए
- सामान को कमरे में भेजने से पहले कीटाणुमुक्त किया जाना चाहिए
- ज्यादा रिस्क वाले आगंतुकों यानी सीनियर सिटीजन, गर्भवती या रोगग्रस्त लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (6/10)

* कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- मेहमानों को कंटेनमेंट जोन में आने वाले क्षेत्रों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए
- आपूर्ति, इन्वेंटरी और माल व उचित कतार प्रबंधन करते समय आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए
- स्टाफ और मेहमानों के लिए फेस मास्क, दस्ताने, हैंड सैनिटाइजर जैसे उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा गियर उपलब्ध कराए जाने चाहिए
- रूम सर्विस या टेकअवे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डाइन-इन के बजाय स्टाफ द्वारा अतिथि/ग्राहक के दरवाजे पर भोजन का पैकेट डिलीवर कराया जाना चाहिए
- होम डिलीवरी पर भेजने से पहले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (7/10)

*कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- रूम सर्विस के लिए, मेहमानों और इन-हाउस स्टाफ के बीच संवाद इंटरकॉम/मोबाइल फोन के जरिए किया जाना चाहिए और रूम सर्विस पर्याप्त सामाजिक दूरी रखते हुए प्रदान किया जाना चाहिए
- संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के एसओपी के अनुसार गेमिंग आर्केड/ चिल्ड्रेन प्ले एरिया को खोलने की अनुमति दी जाएगी
- परिसर के भीतर लगातार सफाई के साथ-साथ शौचालय, पानी पीने और हाथ धोने स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए
- सभी अतिथि सेवा क्षेत्र और कॉमन एरिया में अक्सर इस्तेमाल में आने वाली सतहों (दरवाजे का नॉब, लिफ्ट बटन, वॉशरूम फिक्स्चर, आदि) की सफाई और नियमित रूप से कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए

myGOV
मेरी सरकार

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (8/10)

* कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

होटल और आतिथ्य इकाइयों में रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें

- इस्तेमाल किए हुए फेस कवर/मास्क/दस्ताने का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए
- नियमित अंतराल पर सभी वॉशरूम की अच्छी तरह से सफाई सुनिश्चित की जाएगी
- हर अतिथि के जाते ही कमरे और अन्य सेवा क्षेत्रों को अच्छी तरह से साफ किया जाएगा
- रसोई कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन और नियमित अंतराल पर रसोई की साफ-सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (9/10)

*कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

रेस्तरां के लिए जारी दिशा-निर्देश का पालन होगा सुनिश्चित

- रेस्तरां में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के अनुरूप किया जाएगा
- डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग किया जाएगा
- अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएग
- संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के डिजिटल मोड को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
- बुफे सेवा के दौरान सहायकों के बीच सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना चाहिए

होटल और आतिथ्य इकाइयों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एसओपी (10/10)

*कंटेनमेंट जोन में सभी होटल बंद रहेंगे

संक्रमित पाए जाने की स्थिति में किए जाने वाले उपाय

बीमार व्यक्ति* को उस कमरे या एरिया में रखें जो दूसरों से अलग-थलग हों
*संभावित कोविड मरीज

डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने तक उसे मास्क/फेस कवर प्रदान करें

तत्काल नजदीकी चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) को जानकारी दें या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन पर कॉल करें

जन स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/चिकित्सक) द्वारा जोखिम का आकलन किया जाएगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, मरीज के संपर्कों और संक्रमण दूर करने की आवश्यकता के संबंध में सलाह दी जाएगी

यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए